भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2597
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की मुख्य विशेषताएं

2597. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) असम सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) असम सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रदान किए जा रहे लाभों/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश भर में इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वित हुए किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है और देश भर में इसकी क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में वर्ष 2017-18 से एक केन्द्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है यथा (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (iv) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, (v) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (vi) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (vii) मानव संसाधन और संस्थान और (viii) ऑपरेशन ग्रीन्स जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन होता है। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को अधिक बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है, कृषि उपज के अपव्यय को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात को बढ़ाता है। पीएमकेएसवाई मांग आधारित है और खाली स्लॉट और निधि की उपलब्धता के आधार पर पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके पात्र संस्थाओं से ऑनलाइन प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य और कठिन क्षेत्रों में पात्र घटकों के लिए क्रमशः 35% और 50% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) और (ग) : घटक योजनाएँ मांग आधारित होने के कारण पीएमकेएसवाई के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक आवंटित निधियों और दिनांक 30.11.2023 तक निधियों के उपयोग (अनुदान सहायता के रूप में जारी की गई निधियां) का ब्यौरा

अनुबंध-I में दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज**,** वेयरहाउस सुविधाओं के सृजन के लिए 6067.47 करोड़ रुपये (असम राज्य में अनुमोदित 70 परियोजनाओं के लिए 322.17 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान सहित) की कुल सहायता अनुदान के लिए देश भर में कुल 1132 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है**,** जिससे 252.30 एलएमटी प्रसंस्करण क्षमता/वर्ष**,** 42.91 एलएमटी परिरक्षण क्षमता/वर्ष का सृजन होगा और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 06,02,070 रोजगार सृजित होंगे।

(घ): 15वें वित्त आयोग चक्र अवधि (वर्ष 2021-26) के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ड.) देश भर में वर्ष 2017-18 से 2023-24 (दिनांक 30.11.2023 तक) तक कुल 1132 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिससे इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 38,19,220 किसान लाभान्वित हुए हैं।

*****

अनुबंध-I

"प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की मुख्य विशेषताएं" के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत आवंटित और जारी की गई निधि (वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक) का विवरण

क्र.स.	**घटक योजना**	**आवंटित निधि (करोड़ रुपए में)**	**जारी की गई अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**
1.	एमएफपी योजना	809.61	720.77
2.	शीत श्रृंखला योजना	1710.54	1428.12
3.	एपीसी योजना	326.57	241.58
4.	सीईएफपीपीसी योजना	1304.89	944.12
5.	एफटीएल योजना	244.98	149.38
6.	ओजी योजना	620.71	206.57
7.	सीबीएफएल योजना	186.97	149.10
8.	एचआरआई योजना	152.47	125.01
	कुल	**5356.74**	**3964.65**

अनुबंध-II

“प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की मुख्य विशेषताएं” के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत 15वीं एफसीसी अवधि (वर्ष 2021-26) के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों का विवरण

क्र.स.	पीएमकेएसवाई की घटक योजना	भौतिक लक्ष्य (प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना	30
2.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन	30
3.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	162
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	80
5.	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	25
6.	मानव संसाधन और संस्थान- अनुसंधान और विकास योजना	100